न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

260

राजस्व रिवीजन कमांक ...../2016

डब्बू गौंड आत्मज स्व. श्री मंगल सिंह गौंड R 332-I-17
निवासी – हरदौल वार्ड, तहसील गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर म.प्र.

विरूद्व .....आवेदक

म.प्र. शासन ..... उत्तरवादी

चही गयी भूमि की विकय अनुमति का विवरण जमीन स्थित मौजा छोटा छिंदवाडा, प. ह.नं. 45/16,मे स्थित भूमि ख.नं. 37/5 रकवा 0.800 हे. भूमि में से रकवा 0.202 हे. नं.ब. 175 रा.नि.मं. तहसील गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर म.प्र.

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

आवेदकगण वर्तमान निगरानी राजस्व मामला क. 11/अ/21 वर्ष 2016–17 आदेश दिनॉक 29.11.2016 से पीडित होकर वर्तमान निगरानी प्रस्तुत है।

तथ्य

1. यह कि आवेदक आदिवासी गौड जाति का है आवेदक मौजा छोटा छिदवाडा प.ह.नं. 45 नं. ब. 175, तहसील गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर स्थित कृषि भूमि ख.न. 37/5, रका 0.800 हे. का भूमि स्वामी मालिक काबिजदार है तथा आवेदक का नाम बहैसियत भूमि राजस्व रिकार्ड व शासकीय अभिलेखो मे दर्ज है।
2. यह कि आवेदक की उपरोक्त भूमि शासकीय पटटे अथवा दान की नही है । पूर्णतः निजि पैत्रिक स्वामित्व की भूमि है
3. यह कि आवेदक को उपरोक्त कंडिका 1 मे दर्शित भूमि विकय का कारण आवेदक की पुत्री का विवाह तथा निजि कर्ज की अदायगी है।
4. यह कि उक्त भूमि को विकय करने के पश्चात ओवदक के पास मौजा छोटा छिदवाडा प.ह.नं प.ह.नं. 45 नं.ब. 175 तहसील गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर ख.न. 37/5 रकवा 0. 589 हे. भूमि शेष बचती है जो आवेदक व उसकी पत्नि के भविष्य के भरण पोषण हेतु पर्याप्त कृषि भमि है।
5. यह कि आवेदक अपनी उक्त भूमि को श्री विनोद चौरासिया आत्मज श्री श्रवण कुमार चौरासिया निवासी हरदौल वार्ड गोटेगॉव तहसील गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर को कलेक्टर गाइड लाइन की प्रचलित दर पर विकय करना चाहते है।
6. यह कि आवेदक की विकय कि जा रही है एवं उक्त भूमि कलेक्टर गाइड के अनुसार विकय हेतु तैयार है। उक्त विकय हेतु एक आवेदन पत्र माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था । जिसका राजस्व प्रकरण कमांक 12 अ/21 वर्ष 2016–17 है। जिस आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ओदेश दिनॉक 29.11.16 द्वारा निरस्त कर दिया गया है जिससे व्यथित होकर उक्त निगरानी निम्नलिचित आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है।
7. यह कि उक्त आदेश विधि व प्रकिया के विपरीत पारित किया गया है।
8. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय को उक्त ओदश पारित करते वक्त इस बिन्दु पर ध्यान देना था कि उक्त भूमि आवेदक को न तो किसी शासकीय पटटे द्वारा अथवा दान द्वारा प्राप्त हुई है वह उसकी पैत्रिक संपत्ति है। अतः भूमि विकय की अनुमति दी जाना चाहिये थी।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - 332 -एक/17 जिला - नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.1.17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 29-11-16 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम छोटा छिंदवाड़ा प.ह.नं. 45/16 तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर खसरा नंबर 37/5 रकबा 0.800 में से रकबा 0.202 हैक्टर भूमि गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया । कलेक्टर द्वारा पुनः कुछ बिंदुओं पर	

R 732-5/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रतिवेदन हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी ने पुनः तहसीलदार से जांच कराकर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस आधार पर आवेदन निरस्त किया गया है कि आवेदक के पास 0.598 हैक्टर भूमि आवेदित भूमि को विक्रय के उपरांत शेष बचेगी जिससे उसके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पायेगा । यह भी आधार लिया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय का अनुबंध 8,50,000/- में किया गया है जबकि भूमि की कीमत वर्तमान बाजार दर से अधिक है । कलेक्टर के आदेश के संबंध आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदित भूमि उसकी पैत्रिक भूमि है उक्त भूमि शासन से पट्टें पर प्राप्त भूमि नहीं है । आवेदक द्वारा पुत्री की शादी एवं अन्य निजी कर्ज की अदायगी हेतु उसे उचित प्रतिफल मिलने के कारण भूमि विक्रय की अनुमति चाही गई है । जहां तक कम राशि मिलने का प्रश्न है विक्रय का अनुबंध वर्ष 2015 में किया गया था उस समय भूमि की कीमत कम थी । कलेक्टर ने उक्त तथ्यों को देखा किया है तथा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रतिवेदनों को अनदेखा किया है । प्रकरण में जो प्रतिवेदन तहसील न्यायालय का है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में उसे, उसकी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 332-एक/17 जिला - नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अड़चन प्रतीत नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-11-16 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम छोटा छिंदवाड़ा प.ह.नं. 45/16 तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर खसरा नंबर 37/5 रकबा 0.800 हैक्टर में से 0.200 हैक्टर भूमि को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :- 1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	